छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

बाल आश्रम परिसर कचहरी चौक, मुख्यालय -- रायपुर

कमांक / स्था. / 2009 / 592 रायपुर, दिनांक 31/12/09

// विज्ञापन //

निगम में संविदा आधार पर **06 (छह) माह अवधि के लिये** कनिष्ठ तकनीकी सहायकों की आवश्यकता है । इच्छुक उम्मीदवार, जो निम्न अर्हता रखते हैं, वे पूर्ण विवरण सहित अपना आवेदन पत्र **दिनांक 08.01.2010** को **सायं 5.00** बजे तक, **महाप्रबंधक (प्रशासन), छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय – रायपुर** के नाम पर भेजें ।

क	पद का नाम	आरक्षण	पदों की संख्या				
			अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	योग
1.	संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक समेकित वेतन 4,880/– प्रतिमाह	पुरूष	—	—	03	—	03
		महिला	—	—	02	03	05
		योग	—	—	**05**	03	**08**

1. **शैक्षणिक योग्यता** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. स्नातक (एग्रीकल्चर अथवा बॉटनी) द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण तथा कम्प्यूटर का ज्ञान अनिवार्य । (कम्प्यूटर का ज्ञान होने संबंधी किसी मान्यता प्राप्त संस्था अथवा किसी इंस्टिट्यूट से प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है)
2. **आयु सीमा** राज्य शासन द्वारा निर्धारित अनुसार। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों एवं महिलाओं को आयु सीमा में शासन के नियमानुसार छूट की पात्रता होगी ।

अन्य नियम एवं शर्तें –

1.	वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित (राजपत्रित अधिकारी द्वारा) छायाप्रति सहित उम्मीदवार का आवेदन पत्र **दिनांक 08.01.2010** को **सायं 5.00** बजे तक भारतीय डाक सेवा विभाग की पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट/कोरियर/व्यक्तिगत रूप से महाप्रंधक (प्रशासन), छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, बाल आश्रम परिसर कचहरी चौक मुख्यालय रायपुर को अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिये/जमा किया जा सकता है । विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा । लिफाफे के ऊपर **'संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक हेतु, आवेदन पत्र'** अंकित होना अनिवार्य है।
2.	उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति तथा मूल निवास के संबंध में स्पष्ट उल्लेख एवं दस्तावेजी प्रमाण (राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित) अनिवार्य रूप में दिया जावे ।
3.	उम्मीदवारों को **छत्तीसगढ़ का स्थाई मूल निवासी** होना अनिवार्य है । मूल निवासी प्रमाण पत्र को सत्यापित (राजपत्रित अधिकारी द्वारा) कराना अनिवार्य होगा ।
4.	आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को **छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठित छानबीन समिति द्वारा सत्यापित स्थाई जाति प्रमाण** पत्र ही प्रस्तुत करना अनिवार्य है । सत्यापित (राजपत्रित अधिकारी द्वारा) प्रमाण पत्र ही संलग्न करेंगे।

5. शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र संबंधित के नियोक्ता से **अनापत्ति प्रमाण पत्र** सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य हे, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
6. वर्तमान में खींचा गया स्पष्ट पहचान वाला **पासपोर्ट साईज का एक फोटोग्राफ** आवेदन पत्र पर अच्छी तरह से चिपकाया जाए, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो ।
7. **उम्मीदवारों का चयन** – बी.एस.सी. (स्नातक) में प्राप्तांकों एवं कम्प्यूटर टेस्ट आधार पर मेरिट कम में उम्मीदवारों का चयन किया जावेगा।
8. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटीपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे ।
9. किसी भी आवेदन पत्र को मान्य/अमान्य करने संबंधी समस्त अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेंगे।
10. विज्ञापन का प्रारूप WWW.cg.gov.in वेबसाइट पर भी प्रकाशित है।

प्रबंध संचालक

Bharti Vigyapan doc 5 DHANANJAY